प्रतिवेदन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में **'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान'** अभियान के अंतर्गत आयोजित परिचर्चा : **अपने संविधान को जानें।**

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रायल, भारत सरकार, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार को समर्पित संस्था, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में बुधवार, 10 सितम्बर, 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के सभागार में 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत 'अपने संविधान को जानें' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन सम्पन्न किया गया ।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा वर्षभर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की गई है । इस परिचर्चा का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों व शोधार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करना है । दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में संविधान जैसे संवेदनशील विषय पर परिचर्चा और विमर्श को बढ़ावा देने की इस श्रृंखला का प्रथम आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में हुआ ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में **श्री आकाश पाटील**, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अध्यक्षता में प्रो. (डॉ.) साधना शर्मा, प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री उदय सिंह राठौड़, निदेशक, कैरेट लॉज़ एकेडेमी, डॉ. उर्मिल वत्स,

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र) और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी मंचासीन थे ।

प्राचार्या प्रो. (डॉ.) साधना शर्मा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है । हमें अपने लोकतंत्र की गौरवपूर्ण यात्रा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए । संविधान के प्रति गर्व तभी संभव है, जब हम इसके प्रति पूर्णतः जागरूक हों । उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की इस पहल का हार्दिक स्वागत किया ।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि भाषा, तकनीक, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से हमें छात्रों को जोड़ना होगा। संविधान केवल दंड-सहिंता नहीं है, यह तो वृहत अध्ययन है, तथापि संविधान को लेकर छात्रों को जागरूक होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं 'कैरेट लॉज़ एकेडेमी' के निदेशक श्री उदय सिंह राठौड़ ने कहा कि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और न्यायालय में यह बयान देता है कि उसे क़ानून की जानकारी नहीं थी, तो इस आधार पर वह बच नहीं सकता । इसलिए संविधान के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए ।

डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील ने संविधान से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, चुनौतियाँ, विभिन्न समितियों के रिपोर्ट और डॉ. अम्बेडकर के योगदान जैसे विषयों पर अपना उद्‌बोधन दिया। अंत में संविधान पर आधारित एक रुचिकर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसे महाविद्‌यालय की सहायक आचार्य डॉ. विभा नायक ने संचालित किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान से हुआ।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की 200 से अधिक छात्राओं, आचार्यों व अन्य आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति थी । कार्यक्रम में चयनित 3 छात्राओं ने अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत किए, इन्हें प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्रों को भी सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए ।

कार्यक्रम का संयोजन और कुशल संचालन महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ. विभा नायक द्वारा किया गया तथा समन्वयन सहायक आचार्य, डॉ. अनुराग सिंह ने किया । यह परिचर्चा न केवल संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रही, बल्कि छात्राओं को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का भाव जागृत करने में भी महत्त्वपूर्ण रही । यह आयोजन अन्य महाविद्यालयों में इस तरह के विमर्श को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है ।

चित्रदीर्घा

(छात्राओं को संबोधित करते हुए)

(दीप प्रज्ज्वलन करते हुए)

(अन्य वक्ताओं के साथ)

(महाविद्यालय परिसर में)